

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री दिनेश

विपक्षी :- श्री शांतिलाल

किस्म मुकदमा :- 212 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :- 151/25

जीसीएमएस नम्बर :- 2025/691

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 13.01.2026</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी संख्या 1 द्वारा तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का पेश कर वाद विद्दो किये जाने का निवेदन किया साथ ही अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर प्रार्थना पत्र पर किये गये है परन्तु किसी आवश्यक कार्य के कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकी। इसलिए प्रार्थी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता वाद विद्दो फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं स्वयं प्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का पढ़कर सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा की गई। प्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद विद्दो किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता प्रार्थीगण मय स्वयं प्रार्थी संख्या 1 अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

